(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II,खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 11 /2020-सीमाशुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 3 जून, 2020

सा.का.नि. ..... (अ)- जहां कि चीन जनवादी गणराज्य, मलेशिया और कोरिया गणराज्य में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित "एएसटीएम ग्रेड 304 के स्टेनलेस स्टील के हॉट रोल्ड फ्लैट प्रोडक्ट्स, इसके सभी वैरिएंट्स सहित, जिनका विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है" के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 28/2015-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 5 जून, 2015, जिसे सा.का.नि. 462 (अ), दिनांक 5 जून, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, भाग II खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा लगा गए प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार तथा सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त नियमावली से संदर्भित किया गया है) के नियम 23 के अनुपालन में अधिसूचना संख्या 7/16/2019-डीजीटीआर, दिनांक 3 अक्तूबर, 2019, जिसे दिनांक 3 अक्तूबर, 2019 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड I में प्रकाशित किया गया था के तहत समीक्षा का कार्य शुरू किया है और चीन जनवादी गणराज्य, मलेशिया और कोरिया गणराज्य में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित "एएसटीएम ग्रेड 304 के स्टेनलेस स्टील के हॉट रोल्ड फ्लैट प्रोडक्ट्स, इसके सभी वैरिएंट्स सहित, जिनका विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है" के आयात पर उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार छ: माह की और अवधि अर्थात 5 दिसम्बर, 2020 तक जारी रखने की सिफारिश की है ।

अत: अब उक्त नियमावली के नियम 18 और 23 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के साथ प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 28/2015-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 5 जून, 2015, जिसे सा.का.नि. 462 (अ), दिनांक 5 जून, 2015 के तहत भारत के

राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 के पश्चात और स्पष्टीकरण से पहले निम्नलिखित पैराग्राफ को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"3. पैराग्राफ 2 में निहित किसी भी बात के बावजूद, इस अधिसूचना के तहत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क 4 दिसम्बर, 2020, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, यदि इसके पहले इसे वापस नहीं ले लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो, लागू रहेगा"

[फाइल संख्या 354/62/2015 –टीआरयू(पार्ट-II)]

(गौरव सिंह)
उप सचिव, भारत सरकार

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 28/2015-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 5 जून, 2015 को सा.का.नि. 462 (अ), दिनांक 5 जून, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था ।